



सत्यमेव जयते

**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा I) का कार्यालय , केरल, तिरुवनंतपुरम**  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT I),**  
**KERALA, THIRUVANANTHAPURAM**



सं.प्रशा.(ले प)/III/5-4/Vol.VII

दिनांक/Dated: 08-08-2024

**अनुभागीय आदेश सं.161/SECTIONAL ORDER No. 161**

माननीय केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कें प्र अ), एर्नाकुलम न्याय पीठ के 2023 के मूल आवेदन संख्या 22 के आदेश दिनांक 09.02.2024 के अनुपालन में, प्रधान महालेखाकार के दिनांक 09.07.2024 के आदेशों के अनुसार, अस्थायी स्थिति वाले तीन पूर्व आकस्मिक श्रमिकों को उनके कनिष्ठों के नियमित होने की तिथि से 2550-55-2660-60-3200 रुपये के वेतनमान पर तत्कालीन ग्रुप डी चपरासी (वर्तमान में बहुकार्यकर्मी के रूप में नामित) में नियमित किए गए थे। परिणामस्वरूप, उन्हें अब एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया गया है और उनका वेतन उनके सामने उल्लिखित वेतन बैंड + ग्रेड वेतन/वेतन स्तर में उन्नत किया गया है, जो उसमें उल्लिखित तिथियों से प्रभावी है।

In compliance with order dated 09.02.2024 Hon'ble Central Administrative Tribunal (CAT), Ernakulam Bench in OA No.22 of 2023, vide orders dated 09.07.2024 of Principal Accountant General, three former Casual Labourers with temporary status were regularized in the erstwhile Gr.D Peon cadre (currently designated as MTS) in the Scale of Pay of Rs.2550-55-2660-60-3200 from the date on which their juniors were regularized. Consequently, they have now been granted financial upgradation under MACP Scheme and their pay is upgraded to the Pay Band + Grade Pay/ Pay Level noted against them, with effect from the dates mentioned therein.

| क्रम सं. Sl. No. | नाम (श्री/श्रीमती) Name (Smt.)  | जन्म तिथि DOB | बहुकार्यकर्मी संवर्ग में पूर्वव्यापी नियमितीकरण की तिथि Date of retrospective regularisation in MTS cadre | प्रथम एमएसीपी वेतन बैंड + ग्रेड वेतन के साथ प्रदान किया जाना है। I <sup>st</sup> MACP to be granted with Pay Band + grade Pay | द्वितीय एमएसीपी वेतन स्तर के साथ प्रदान किया जाना है। II <sup>nd</sup> MACP to be granted with Pay Level | सेवानिवृत्ति की तिथि DOR |
|------------------|---|---------------|---|---|--|--------------------------|
| 1.               | कनकम्मा पी,<br>सीएलटीएस<br>(सेवानिवृत्त)<br>Kanakamma P,<br>CLTS (Retd.)  | 15.06.1949    | <b>06.01.1999</b>   | <b>06.01.2009/</b><br>PB 1- 5200-20200<br>GP 1900   | -  | 30.06.2009               |
| 2.               | लतिकादेवी एस,<br>सीएलटीएस (सेवानिवृत्त)<br>Lathikadevi S,<br>CLTS (Retd.) | 15.08.1957    | <b>06.01.1999</b>   | <b>06.01.2009/</b><br>PB 1- 5200-20200<br>GP 1900   | -  | 31.08.2017               |

|    |   |            |            |  |                        |            |
|----|---|------------|------------|--|------------------------|------------|
| 3. | रेमाकुमारी एम आर,<br>सीएलटीएस (सेवानिवृत्त)<br>Remakumari MR,<br>CLTS (Retd.) | 30.05.1962 | 06.01.1999 | 06.01.2009/<br>PB 1- 5200-20200<br>GP 1900 | 06.01.2019/<br>Level 3 | 31.05.2022 |
|----|---|------------|------------|--|------------------------|------------|

एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन कर्मचारी के लिए पूरी तरह से व्यक्तिगत होगा और उसकी वरिष्ठता स्थिति से इसका कोई संबंध नहीं होगा। योजना के तहत वेतन निर्धारण के कारण वरिष्ठ की तुलना में कनिष्ठ को अधिक वेतन मिलने पर वेतन में कोई वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

Financial upgradation under MACP Scheme shall be purely personal to the employee and shall have no relevance to his seniority position. No stepping up of pay would be admissible with regard to junior getting more pay than the senior on account of pay fixation under the Scheme.

पदोन्नति दिए जाने पर वेतन निर्धारण का लाभ भी एमएसीपी योजना के तहत वित्तीय उन्नयन के समय दिया जाएगा। यदि वे एफआर 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प का प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्हें इस आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर लिखित रूप में विकल्प देना होगा।

The benefit of pay fixation on grant of promotion shall also be allowed at the time of financial upgradation under MACP Scheme. If they intend to exercise option under FR 22(I)(a)(1), they should give the option in writing within one month from the date of issue of this order.

(प्रधान महालेखाकार के दिनांक 06.08.2024 के आदेशानुसार)

(Vide orders dated 06.08.2024 of Principal Accountant General)

Sd/-

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / (प्रशासन)  
Senior Audit Officer / (Admn.)

प्रतिलिपि / Copy to:-

1. अनु.आ.पुस्तक / S.O.Book
2. संबंधित पदाधिकारी / Officials concerned
3. वरिष्ठ ले प अ (बिल)- लेखापरीक्षा-I/Sr.AO (Bills)- Audit-I
4. का.स्था.(बिल/रोकड़/हक.) लेखापरीक्षा - I/OE (Bills/Cash/Entt) Audit- I
5. गो. कक्ष/ आई ए कक्ष /हिन्दी कक्ष -लेखापरीक्षा - I /C.Cell/IA Section/Hindi Cell- Audit-I
6. पी ए ओ I, II और III/PAO I, II & III
7. पेंशन इकाई/Pension Unit
8. सूचना पट्ट/Notice Board
9. व्यक्तिगत फ़ाइल / Personal Files